शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

वर्तमान भारतीय परिवेश में महिला सशक्तिकरण : एक चिंतन

मनीष कुमार सिंह

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, डी0ए0वी0 कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश

21वीं सदी में मानव सभ्यता की विकास यात्रा यहाँ तक पहुँच गई है कि हम चन्द्रमा, मंगल एवं अंतरिक्ष में भी जीवन की संभावना तलाशने हेतु प्रयास कर रहे हैं एवं भाँति–भाँति प्रकार के नये शोध हमारे जीवन को सरल एवं सुखद बना रहे हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता अपने विकास के स्वर्णिम युग से गुजर रही है, ऐसे में सृष्टि की आधी आबादी का सहयोग भी अतुलनीय रहा है। अतः वर्तमान परिदृश्य में भारत में महिलाओं की दशा और दिशा पर चिंतन करके उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालना एवं समाधान की खोज करना अतिआवश्यक है।

भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़े पहलुओं के प्रति चिंतन हेतु वर्णनात्मक शोध प्रारूप के माध्यम से द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर तथ्यों के कारणात्मक सम्बंधों द्वारा समस्या का निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र में अतीत से लेकर वर्तमान तक समाज में महिलाओं की दशा का तथ्यात्मक वर्णन किया गया है। वर्तमान परिवेश में महिलाओं की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गयी है क्योंकि समाज की पुरुषवादी सोच एवं अप्रासंगिक प्रथाएँ–परम्परायें एवं झूठी-शान आदि कारणों से अभी भी महिलाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। वास्तव में संवैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ समाज में ऐसी परिस्थिति एवं संवेदना का विकास करना अतिआवश्यक है जिसमें महिलाओं को समानता का दर्जा मिल सके।

मूल शब्द– *सशक्तिकरण, बंदिशें, बाल–विवाह, जौहर प्रथा, संवैधानिक संरक्षण, कानूनी संरक्षण, स्वावलम्बन, जेंडर बजटिंग, नारी–उत्पीड़न।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
मनीष कुमार सिंह,
''वर्तमान भारतीय परिवेश में महिला सशक्तिकरण : एक चिंतन'
शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 85–89
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No.14 (SM 452)

मनीष कुमार सिंह

भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ कहने के लिए उसके अतीत को भी समझना होगा, अनेक कालों में महिलाएँ समाज की मुख्य धारा में रही या हाशिए पर इन सब पहुलओं का विश्लेषण करना होगा।

सर्वप्रथम हम महिलाओं के ऐतिहासिक पहलू पर दृष्टिपात करेंगे– वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत उन्नतशील मानी जाती है, स्त्री महत्वपूर्ण कार्यों में भी समान भागीदारी करती थी। वैदिक काल के बाद उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी जो विदेशी आक्रमणकारियों की घुसपैठ के साथ अपने चरम पर पहुँची। इन विदेशी आक्रांताओं में मुसलमानों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है कि उन्होंने महिलाओं का अपहरण करके भ्रष्ट किया और इसीलिए परदा प्रथा, सती–प्रथा, जौहर–प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी कुरीतियाँ जन्म ली। मध्ययुगीन महिलाओं की स्थिति के बारे में प्रस्तुत उदाहरण प्रतिनिधिक ही जान पड़ता है–

'दसवीं और ग्यारहवीं सदियाँ हमारे देश में मुसलमानों के आगमन की साक्षी रही हैं। जिन्होंने बाद में यहाँ अपने पैर मजबूती से जमा लिए। जब हिंदू संस्कृति का एक ऐसी संस्कृति से टकराव हुआ जो एकदम भिन्न थी तो समाज के अगुवाओं ने अपने हितों, विशेषकर महिलाओं की स्थिति की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाना षुरू कर दिए। उन पर गहरी बंदिशें लगा दी गईकृ। इस काल में हम बाल विवाह की जड़े पूरी तरह जमाते हुए देखते हैं शैतानी हाथों में पड़कर अपनी दुर्गति करवाने के बजाय विधवा का मर जाना ही बेहतर था। इसलिए विधवा द्वारा आत्मदाह को कानूनी मान्यता दे दी गई जिसमें आशा की जाती थी कि इस प्रकार उस दुर्भाग्यशाली पीड़ित महिला को स्वर्गिक वैभव की प्राप्ति होगी। यह और ऐसे कई प्रावधान लागू कर दिए गए जिनसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर काफी बंदिशें लग गई। ऐसा सम्भवतः उन्हें विदेशियों से बचाने और नस्ल की शुद्धता बनाये रखने के लिए किया गया था।

परन्तु मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि स्त्री पहले भी पुरुषों के समान अधिकार नहीं पाई थी कहीं न कहीं पितृसत्ता की झलक दिखाई पड़ती है। महिलाएँ युगों–युगों तक शोषित, पद–दलित होते हुए वर्तमान में जिस मुकाम पर अभी पहुँची हैं वह अभी संतोषप्रद नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में समाजसुधारकों के द्वारा अनेक कानून उनकी बदहाली को दूर करने के लिए बनवाए गये तत्पश्चात् आजादी के बाद संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को सरकारी एवं संवैधानिक प्रावधान में शामिल करके महिलाओं के अधिकार एवं मानवीय गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने का पुरजोर प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया मे स्त्री संगठनों, गोष्ठियों, विचार के आदान–प्रदान एवं सामाजिक सुधारों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कई संवैधानिक मान्यताएँ एवं व्यवस्थाएँ की गई और समय–समय पर ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करके उन्हें ऊँचा उठाने का कार्य किया गया। महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार निम्नलिखित हैं–

अनुच्छेद–14 : सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद–15 : राज्य महिला व बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद–39(d) : समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन दिये जायेंगे।

अनुच्छेद–51(A)(e) : महिलाओं के गरिमा के खिलाफ किए जाने वाले कार्यों की निंदा की जानी चाहिए।

सती प्रथा निशेध अधिनियम–1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिन्दू–विवाह 1955, दहेज अनुरोध अनिधिनियम 1961, हिन्दू नाबालिग एवं संरक्षित अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक–ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 और मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इत्यादि।

राष्ट्रीय महिला आयोग – महिलाओं को न्याय दिलाने उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को तीव्र गति देने के लिए 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई तत्पश्चात् 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना दिया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानूनी संरक्षण के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ कुछ प्रमुख कार्यरत योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

1. स्टेप (1987) : परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराना व महिलाओं की स्थिति में सुधार करना।
2. स्वयंसिद्धा (2001) : महिलाओं का चहुँमुखी विकास, विशेष तौर पर सामाजिक और आर्थिक विकास करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना।
3. स्वालम्बन (1982–83) : महिलाओं को परम्परागत और गैर–परम्परागत धंधों का प्रशिक्षण व कौशल उपलब्ध कराकर स्वरोजगार में मदद करना।
4. स्वशक्ति (1988) : जीवन स्तर में सुधार हेतु संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच को बढ़ाना।
5. स्वाधार (2001–02) : दीन–हीन विधवा जिनके परिवार वालों ने धार्मिक स्थलों पर बेसहारा छोड़ दिया है व कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को समग्र व समन्वित सहायता प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय महिला कोष (1993) : आय अर्जन हेतु महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना।
7. प्रियदर्शनी (2011) : स्वयं सहायता समूहों द्वारा कमजोर वर्गों की महिलाओं और किशोरियों का आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण करना।

8. सबला योजना (2010) : 11–18 वर्ष की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना।
9. जेंडर बजटिंग पहल (2004–05) की शुरूआत की गई।
10. स्त्री–शक्ति पुरस्कार : शुरूआत 1999 भारत की 5 स्त्री शक्ति के नाम से ये पुरस्कार दिये जाते हैं–

(i) देवी अहिल्या बाई होल्कर
(ii) कन्नगी
(iii) माता जीजाबाई
(iv) रानी गेन्डिलियू जेलियांग
(v) रानी लक्ष्मीबाई

ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिये जाते हैं। इस पुरस्कार में एक लाख नकद तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरूआत 22 जनवरी 2015 देष के 100 सबसे कम निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में इस योजना को लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य–

(i) कन्याभ्रूण हत्या की रोकथाम।
(ii) बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(iii) बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी एवं नेतृत्व भी अत्यंत आवश्यक है जो पहले की अपेक्षा तो ठीक है किन्तु अनुपात काफी निराशाजनक है जो लोक सभा के 2014 के परिणाम से स्पष्ट होता है यथा– महिला प्रतिनिधियों की स्थिति निम्नलिखित है– वर्तमान में मीडिया, प्रशासन, राजनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है परन्तु अभी प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी एवं आर्थिक क्षेत्र में उनकी पराश्रयता को संतुलित करने की जरूरत है।

लेकिन क्या वर्तमान में नारी–उत्पीड़न, प्रताड़ना, अत्याचार एवं विभेद की शिकार नहीं हैं? वास्तव में नारी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु संवैधानिक संरक्षण के साथ–साथ समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पुरुषवादी सोच जो आधी आबादी का कैंसर है उसे त्यागकर महिलाओं को व्यावहारिक धरातल पर समानता का दर्जा देना होगा क्योंकि कोई भी समाज आधी आबादी को नजरअंदाज करके उनको शोषित करके, कठपुतली बनाकर उन्नतषील नहीं बन सकता है। समाज को दहेज महिला शिक्षा में विभेद एवं भ्रूण हत्या इत्यादि विषयों पर मंथन करने की जरूरत है, जहाँ एक तरफ भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं को दूर करना आवश्यक है वहीं महिलाओं से जुड़ी योजनाओं चाहे शिक्षा, रोजगार सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आदि हो उसे एक आंदोलन के रूप में व्यावहारिक धरातल पर लाने की जरूरत है।

अतः एक स्वच्छ एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को समान भागीदारी

अतिआवश्यक है तथा महिलाओं को सम्मानपूर्ण रूप से विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना भी समाज का परम दायित्व है।

संदर्भः–

1.सं.–आर्य, साधना; मेनन, निवेदिता; लोकनीता, जिनी; नारीवादी राजनीति–संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 2015

2. सं.–सिंह, उमेश प्रताप; गर्ग, राजेश कुमार; महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2012

3. सेतिया, सुभाष; गांधी जी का स्त्री विमर्श, योजना मार्च–2013, नई दिल्ली

4. भसीन, कमला; भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण, योजना–सितम्बर–2016, नई दिल्ली

5. सं. प्रसाद, प्रो. कमला; शर्मा, राजेन्द्र; स्त्री : मुक्ति का सपना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली–2009

6- www.wed.ni.in

7- www.ncw.in

8- parliamentofindia.nic.in